

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका

—: अल्पकालीन निविदा :-

मनरेगा अन्तर्गत दुमका जिला के सभी प्रखण्डों में "बिरसा मुण्डा बागवानी" के तहत आम बागवानी किया जाना है, जिसके लिए आम पौधा (प्रजाति— आम्रपाली एवं मल्लिका) का गणवतापूर्ण खरीददारी दर निर्धारण हेतु ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड राँची के पत्रांक (N)1623, दिनांक 19.06.2019 के द्वारा 04(चार) नर्सरियों का Empanelled किया गया है। उक्त पत्र के द्वारा आम पौधों के खरीददारी हेतु उल्लेखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा, जो निम्नवत् है :-

1. आम का पौधा आम्रपाली एवं मल्लिका प्रजाति का ही हो।
2. पौधों का कलम सिर्फ Veneer Grafting पद्धति से तैयार किया होना चाहिए।
3. पौधे की लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच दी हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 02-03 स्वस्थ शाखाएँ हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 02 साल का हो।
6. पौधे में जहाँ कलम (Grafting) किया गया है, उसके ऊपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई में अधिक अन्तर नहीं हो एवं दोनों आपस में अच्छी तरह से जुड़े हो।
7. Stock की लम्बाई 01-1.5 फीट हो।
8. पौधे काला Polythene Bag में तैयार किया गया हो और बैग का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए।
9. आपूर्तिकर्ता के द्वारा आम पौधे को योजना स्थल तक आपूर्ति किया जाना है।

इच्छुक प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ताओं (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा Impanelled किये गए नर्सरी) से दिनांक 31/07/19 के अपराह्न 02.00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 31/07/19 के अपराह्न 3.00 बजे उप विकास आयुक्त, दुमका की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक में खोली जायेगी।

ह.०।—

उप विकास आयुक्त—सह—  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
दुमका।

ज्ञापांक...1092.../जि०ग्रा०वि०अभि०

दुमका दिनांक...19-7-19

प्रतिलिपि :- शक्ति नर्सरी टंगी, कोटशाही, कटक/मे० प्रकाश सीडस एवं नर्सरी बिरसा बस स्टैंड खादगढ़ा, राँची/फल उद्योग नर्सरी, आरा, महीलौंग(टाटीसिलवे) राँची/नारायण हार्टिकल्चर नर्सरी, डुहूटोली, हातमा राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचानार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त—सह—  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
दुमका।